

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़जे0के0 सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा

बनाम

अनु वगैराह

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र (रे.वि.)

नं0

017सन् **2024**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.06.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील अप्रार्थी चम्पालाल जाट संख्या 5-8 हाजिर। अधिवक्ता अप्रार्थी चम्पालाल जाट ने अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 4 तक, 6, 7 एवं 9 से 11 तक की और से अधिकार पत्र एवं प्रार्थना-पत्र बाबत् मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त किये जाने हेतु पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थना-पत्र रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। वकील प्रार्थी ने कोई एतराज नहीं होना अंकित किया। अप्रार्थीगण स्वयं हाजिर। अप्रार्थीगण की पहचान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा की गई। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र को सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन-मनन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अवगत कराया गया है कि अप्रार्थीगण अपने हक व हिस्से की मुआवजा राशि मेरी पारिवारिक निजी आवश्यकता होने से प्राप्त करना चाहता हूँ अब वर्तमान में प्रार्थी कंपनी एवं अप्रार्थीगण के मध्य उपरोक्त मुआवजा राशि को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी कंपनी द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को कराये जाने की किसी भी प्रकार का उज्र नहीं होना जाहिर किया है। अप्रार्थीगण निर्धारित मुआवजा राशि अपने हक हिस्से अनुसार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में Interest of Justice अप्रार्थीगण को निर्धारित मुआवजा राशि में से अपने हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान कराया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2024/246 दिनांक 14.02.2024 से प्राप्त अप्रार्थीगण संख्या के नाम पर जारी चैक संख्या 120952, 120954, 120955, 120957, 120958, 120959, 120961 से 120965,</p>	



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>दिनांक 04.11.2023 कुल तादादी रूपये 30,39,976/- अक्षरे तीस लाख उनचालीस हजार नौ सौ छियत्तर रूपये मात्र के चैक तहसीलदार निम्बाहेडा को अप्रार्थीगण को वास्ते भुगतान भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है। तहरीर जारी करे। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण निर्धारित मुआवजा राशि के चैक प्राप्त करना चाहते है ऐसी स्थिति में प्रकरण के विपक्षीगण द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु सहमति प्राप्त हो चुकी है जिससे पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-S/d- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 19.06.2024</p>	

